

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर०-53/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक- / /2024

डा० गंगाधर तिवारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रक्त केन्द्र, सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के दिनांक-04.11.1990 से 11.06.1992 एवं दिनांक-17.07.2008 से 20.08.2008 तक की अवधि को निम्नांकित रूप में विनियमित किया जाता है :-

दिनांक-04.11.1990 से 11.06.1992 तक (586 दिन)			
(i)	दिनांक-04.11.1990 से 03.01.1992 तक	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय पत्राक-2045(2), दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
(ii)	दिनांक-04.01.1992 से 11.06.1992 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम 236 के आलोक में)।
दिनांक-17.07.2008 से 20.08.2008 तक (35 दिन)			
(i)	दिनांक-17.07.2008 से 22.07.2008 तक	-	पारगमन काल के रूप में।
(ii)	दिनांक-23.07.2008 से 26.07.2008 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (सिविल सर्जन कार्यालय, गोपालगंज में)।
(iii)	दिनांक-27.07.2008 को	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम 236 के आलोक में)।
(iv)	दिनांक-28.07.2008 से 20.08.2008 तक	-	कर्तव्य अवधि के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

सं०सं०-2/आर०-53/2024-

1596(2)

पटना, दिनांक 16/7/2024

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/अधीक्षक, सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/डा० गंगाधर तिवारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रक्त केन्द्र, सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/प्रशाखा-3, 9A, 9B एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Vikram K 15/7/24
सरकार के उप सचिव।

६